अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नत्थीबद्ध करने हेतु जारी आवश्यक दिशा–निर्देश

ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र में आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर, दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की दोनो प्रतियों के साथ स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों की निम्नानुसार नत्थीबद्ध की जानी हैः–

1. इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सैकण्डरी या सरकार द्वारा निर्धारित समतुल्य अर्हता की संपूर्ण अंकतालिकाएं/ प्रमाण पत्रों की प्रतियां।
2. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सैकण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका की प्रति/जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति। अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
4. जाति प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के लिए अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र, जिसमें अति पिछडा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो/सहरिया आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र)। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण–पत्र वाले अभ्यर्थी शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।
5. दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार) की जांच हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर, आवेदन में किये गये हस्ताक्षर के समान होने चाहिए।
6. अन्य प्रमाण पत्र– (इनमें से जो लागू हो)
   - A. विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, जिसमें पत्नी का नाम स्पष्टतः अंकित हो। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थिया साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति–पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी/राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आई.डी अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करें, जिसमें पति–पत्नि होने का उल्लेख हो। इस श्रेणी की अभ्यर्थिया पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के सबंध में फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें।
   - B. परित्यक्ता महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रति। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थिया तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और यदि पति–पत्नि की कोई संयुक्त आई.डी हो तो वो भी संलग्न करें। इस श्रेणी की अभ्यर्थिया द्वारा पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के सबंध में फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी संलग्न करें ।
   - C. उतकृष्ट खिलाडी के मामले में विज्ञप्ति दिनांक 06.10.2023 में अंकितानुसार सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र/पत्रों की प्रतियां। उक्त खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

D. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवा निवृत्ति आदेश व डिस्चार्ज डायरी या एन.ओ.सी. की प्रति एवं स्वतः घोषण पत्र/वचन बंध।

E. अलग–अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र (प्रथम सेट के साथ दोनो मूल चरित्र प्रमाण पत्र तथा दूसरे सेट के साथ फोटो प्रतियां)

F. अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र।

G. हस्तलिपि– बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूप अनुसार (स्वयं प्रमाणित) (प्रथम सेट के साथ मूल हस्तलिपि प्रपत्र एवं दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति)

H. शपथ पत्र (नोटेरी से सत्यापित)– दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाये जाने/एवं फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में। (प्रथम सेट के साथ मूल शपथ पत्र एवं दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति)

I. विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।

7. अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल–निवास व विकलांगता प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर लें तथा नाम में वर्तनी/स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

8. अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो आई.डी. प्रूफ व 2 पासपोर्ट साईज के फोटो अवश्य लेकर आवें।

9. अभ्यर्थी को उपरोक्त दिशा–निदेर्शों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र मय संलग्कों एवं मूल दस्तावेज के साथ व्यक्तिशः कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समयावधि में उपस्थित होना है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

अभ्यर्थी के द्वारा प्रत्येक दस्तावेज को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। (संबधित दस्तावेज मय शपथ–पत्र दो प्रतियों में ही लेकर आवें)

...................xxxxxxx..........................